भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4175
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए आत्मरक्षा

4175. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाने/प्रदान करने के लिए वर्तमान में कोई केन्द्र/संस्था संचालित है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे केन्द्रों पर प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की वर्ष-वार/राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार का देश में ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं के संचालन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'पब्लिक ऑर्डर' राज्य के विषय हैं और, इस नाते अपराध को रोकने, पता लगाने, इसका पंजीकरण जांच और अभियोजन करना राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक व्यापाक दृष्टिकोण 12 मई, 2015 को जारी किया है जिसमें इन परामर्शों के अतिरक्त आत्मरक्षा की आवश्यकता के लिए अपनाए जाने वाले विशिष्ट उपायों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस द्वारा प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की अग्रणी स्कीम समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा क्षेत्र में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण की गतिविधि भी शामिल है। लड़कियों की कुशलता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में कक्षा VI से XII तक की शिक्षा में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण शामिल किया गया है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबी) में भी दिया जा रहा है जो गरीब वर्ग की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय स्कूल हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए साल में दो बार कक्षा I से X तक की लड़कियों हेतु एक सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता पर 07.09.2015 को एक परिपत्र जारी किया है। केन्द्रीय विद्यालयों(केवीएस), जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवीएस) और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में नियमित रूप से लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें उन्हें जूडो, ताईक्वांडो और मुक्केबाजी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इन खेलों की प्रतियोगिताएं और टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) ने उच्चत्तर शैक्षणिक संस्थानों (एसईआईएस) को प्रबंधन और शिक्षकों को महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति संवेदीकृत करने और लैंगिक संवेदनशीलता और कैम्पसों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की दिशा में सक्षम(एसकेएसएचएम) की रिपोर्ट और सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए रोड मैप बनाने के लिए समय - समय पर दिनांक 18.02.2014, 28.08.2014, 01.09.2014 और 06.11.2014 को पत्र जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) ने उच्चत्तर शैक्षणिक संस्थानों के कैम्पस के बाहर और भीतर महिला छात्रों की सुरक्षा पर दिशानिर्देश भी बनाए हैं।

स्कूलों/ कॉलेजों/एमएनसी/ अस्पतालों/संस्थानों/एनजीओ/होटलों आदि के प्रमुखों के आग्रह पर दिल्ली पुलिस की विशेष महिला एवं बाल इकाई छात्रों, कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करती है। दिल्ली पुलिस की इस परियोजना का वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा निर्भया कोष से होता है।

देश भर में लड़कियों एवं महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारों और संगठनों द्वारा लड़कियों एवं महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते।

*****